



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 1670 / समुकाअ / चिप्स / 2021

रायपुर, दिनांक 25/09/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Block through optic fiber cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ : 1. आपका पत्र क्र./तक./4716 दिनांक 24/09/2021।

2. अ.प्र.मु.व.सं. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू प्रबंध/विविध/115-827/2309, दिनांक 20/09/2021।

- 00. -

विषयांतर्गत नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्न लिखित त्रुटियां परिलक्षित हो रही है। जिनका निराकरण /स्पष्टीकरण निम्नानुसार है -

| क्र. | परिलक्षित त्रुटियां                                                                                                           | निराकरण/स्पष्टीकरण                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1166 दिनांक 05.06.2027 का उत्तर प्राप्त है एवं ऑनलाईन ई.डी. एस में भी जानकारी अपलोड नहीं किया गया है। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक /1166 दिनांक 05.06.2021 का उत्तर आवेदक की ओर से पत्र क्रमांक 946/समुकाअ/चिप्स/2021 दिनांक 10/06/2021 के माध्यम से वनमंडल बिलासपुर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। |
| 2    | ऑन लाईन फार्म-ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार नहीं किया गया है।                                                              | ऑन लाईन फार्म-ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार किया गया है।                                                                                                                                  |
| 3    | नवीन प्रस्ताव अनुसार के. एम. एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मय सी डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।                     | नवीन प्रस्ताव अनुसार के. एम. एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मय सी डी प्रस्ताव के साथ संलग्न है। कृपया पृष्ठ क्रमांक 70-103 का अवलोकन करें।                                           |
| 4    | Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड करें।                          | Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड कार्यालय, बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया जावेगा।                                                |

| क्र. | परिलक्षित त्रुटियां                                                                                                                                                                                                                                                      | निराकरण/स्पष्टीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | नवीन प्रस्ताव अनुसार सत्यापित वनस्पति मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                     | वनस्पति मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त मानचित्र मूल प्रस्तावों के साथ संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6    | एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र मय वन मंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव में संलग्न करें। | एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का सत्यापन, वनमंडल के अधिकारी से कराया गया है जो कि मूल प्रस्तावों के साथ संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                |
| 7    | आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार /तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।                                          | आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार से कराया गया है जिसे वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल से सत्यापन कराते हुए चेकलिस्ट-3 में संलग्न किया गया है तथा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 70-103 में संलग्न किया गया है। |
| 8    | संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।                                                 | एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का सत्यापन वनमंडल के अधिकारी से कराया गया है जो कि मूल प्रस्तावों के साथ संलग्न है। नवीन प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मय सी डी प्रस्ताव के साथ संलग्न है। कृपया पृष्ठ क्रमांक 70-103 का अवलोकन करें।                                                                |

उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान की ओर से परिवेश पोर्टल में आवश्यक सुधार किया गया है तथा अन्य त्रुटियों का निराकरण/स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अतः निवेदन है कि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

*(Signature)*

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)



## FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

### PART - I

(To be filled up by User Agency)

#### A. General Details

##### A-1. Project Details

- (i). Proposal No. : FP/CG/OFC/42622/2019
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Phase-II Bilaspur\_Division
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). Category of the Proposal : Optical Fibre Cable
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 14117
- (viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 6.897
- (ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 69.324
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 20

##### A-2. Details of User Agency

- (i). Name : CHIPS
- (ii). Address1 : Chhattishgarh Infotech Promotion Society
- (iii). Address2 : 3rd Floor, State Data Center Building, Civil Lines Raipur Chhattishgarh
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). District : Raipur
- (vi). Pin : 492001
- (vii). Landmark : Opp.New Circuit House
- (viii). Email address : ceochips@nic.in
- (ix). Landline Telephone No. : 771-4014158
- (x). Fax No. : 771-4066205
- (xi). Mobile No. : 9632444223
- (xii). Website (if any) : www.chips.gov.in
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

##### A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Ravindra
- (ii). Middle Name: Kumar
- (iii). Last Name: Pateria
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: JCEO
- (vi). Address 1: CHIPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Chhattisgarh
- (ix). District: Raipur
- (x). Tehsil: NIL
- (xi). Pin: 492001
- (xii). Landmark: New Circuit house
- (xiii). Email Address: vivek.chandrakar@cgchips.in
- (xiv). Landline Telephone No.: 771-4014158
- (xv). Fax No.: 07714066205
- (xvi). Mobile No.: 9630742261
- (xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:



#### B.

##### Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

| Proposal Submitted in Past |                  |                         |                                         |                                  |                    |                               |                        |
|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| S.no                       | Proposal Status. | Proposal No.            | Moef File No.                           | Area Proposed for Diversion(Ha.) | Area Diverted(Ha.) | Date of In-Principle Approval | Date of Final Approval |
| 1                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/32736/2018 | F-7-3/2018/10-2,Raipur Dated 26.05.2018 | 1.222                            | 1.222              | 26 May 2018                   |                        |
| 2                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/28811/2017 | F-5-10/2018/10-2,Raipur Dt 19/06/2018   | 2.488                            | 2.488              | 19 Jun 2018                   |                        |
| 3                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27433/2017 | F-7-3/2018/10-2,Raipur Dt.26.05.2018    | 0.854                            | 0.854              | 26 May 2018                   |                        |
| 4                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27427/2017 | F-5-15/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018   | 1.588                            | 1.588              | 28 Apr 2018                   |                        |
| 5                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27425/2017 | F-5-11/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018   | 3.959                            | 3.959              | 28 Apr 2018                   |                        |
| 6                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27423/2017 | F-5-12/2018/10-2,Raipur Dt.11/06/2018   | 2.014                            | 2.014              | 11 Jun 2018                   |                        |
| 7                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27422/2017 | F-5-9/2018/10-2,Raipur 28/04/2018       | 3.064                            | 3.064              | 28 Apr 2018                   |                        |
| 8                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27420      | F-5-08/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018   | 2.383                            | 2.383              | 28 Apr 2018                   |                        |
| 9                          | Inprinciple      | FP/CG/Others/27383/2017 | F-5-16/2018/10-2,Raipur Dt. 28/04/2018  | 0.947                            | 0.947              | 28 Apr 2018                   |                        |
| <b>Total</b>               |                  |                         |                                         | <b>18.519</b>                    | <b>18.519</b>      |                               |                        |

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

| Details of Divisions involved |               |                  |                      |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| S.no                          | Division Name | Forest Land(ha.) | Non-Forest Land(ha.) |
| 1.                            | Bilaspur      | 6.897            | 69.324               |
| Total                         |               | 6.897            | 69.324               |

B-2.2 Details of Districts involved

| District wise breakup |               |                  |                      |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| S.no                  | District Name | Forest Land(ha.) | Non-Forest Land(ha.) |
| 1.                    | Bilaspur      | 6.897            | 69.324               |
| Total                 |               | 6.897            | 69.324               |

B-2.3 Village wise breakup

| Villages wise breakup |          |                  |                      |
|-----------------------|----------|------------------|----------------------|
| S.no                  | Village  | Forest Land(ha.) | Non-Forest Land(ha.) |
| 1                     | Amagahan | 0.227            | 0.175                |
| 2                     | Amaldiha | 0                | 0.228                |
| 3                     | Amali    | 0.066            | 0.449                |

|    |                   |       |       |
|----|-------------------|-------|-------|
| 4  | Amamuda           | 0.164 | 0     |
| 5  | Amane             | 0     | 0.101 |
| 6  | Ameri             | 0     | 0.27  |
| 7  | Amgaon            | 0     | 0.35  |
| 8  | Amsena            | 0     | 0.067 |
| 9  | Ankdih            | 0     | 0.004 |
| 10 | Araiband          | 0     | 0.828 |
| 11 | Bachhali Khurd    | 0.026 | 0     |
| 12 | Baheramuda        | 0.345 | 0.172 |
| 13 | Bahtara           | 0     | 1.238 |
| 14 | Bansajhal         | 0.038 | 0     |
| 15 | Bahtarai          | 0     | 0.807 |
| 16 | Bakarkuda         | 0     | 0.054 |
| 17 | Banabel           | 0     | 0.164 |
| 18 | Baniyadish        | 0     | 0.185 |
| 19 | Baridih           | 0.037 | 0.142 |
| 20 | Basaha            | 0     | 0.073 |
| 21 | Basantpur         | 0     | 0.201 |
| 22 | Belgahna          | 0.153 | 0.353 |
| 23 | Belmundi          | 0     | 0.138 |
| 24 | Beltukari         | 0     | 0.93  |
| 25 | Bhadam            | 0     | 0.154 |
| 26 | Bhadoura          | 0     | 0.049 |
| 27 | Bhaisajhar        | 0.118 | 0.233 |
| 28 | Bhakurra Navapara | 0     | 0.02  |
| 29 | Bhaneshar         | 0     | 0.133 |
| 30 | Bharari           | 0     | 1.253 |
| 31 | Bhosko            | 0.076 | 0     |
| 32 | Bicharpur         | 0.082 | 0     |
| 33 | Bhatchoura        | 0     | 0.181 |
| 34 | Bhilai            | 0     | 0.075 |
| 35 | Bhilouni          | 0     | 0.283 |
| 36 | Bhunda            | 0     | 0.017 |
| 37 | Bhurkunda         | 0     | 0.004 |
| 38 | Bidiyadish        | 0     | 0.009 |
| 39 | Billiband         | 0     | 0.11  |
| 40 | Bija              | 0.046 | 0     |
| 41 | Binori            | 0     | 0.021 |
| 42 | Binouri           | 0     | 0.016 |
| 43 | Bitkula           | 0.045 | 0.276 |
| 44 | Bitkuli           | 0     | 0.025 |
| 45 | Bodsara           | 0     | 1.496 |
| 46 | Bohardih          | 0     | 0.182 |
| 47 | Budhikhar         | 0     | 0.148 |
| 48 | Butena            | 0     | 0.752 |
| 49 | Chakarbedha       | 0     | 0.02  |
| 50 | Chanadongari      | 0     | 0.057 |
| 51 | Changori          | 0.041 | 0.135 |
| 52 | Chapora           | 0.002 | 0.006 |
| 53 | Chhatauna         | 0.205 | 0.696 |
| 54 | Chherkabandha     | 0.072 | 0.118 |
| 55 | Chichirda         | 0     | 0.445 |
| 56 | Chilhanti         | 0     | 0.667 |
| 57 | Chisda            | 0     | 0.13  |
| 58 | Chitwar           | 0     | 0.197 |
| 59 | Chorbhatti Kala   | 0     | 0.146 |
| 60 | Chorbhatti Khurd  | 0     | 0.011 |
| 61 | Chouha            | 0     | 0.027 |
| 62 | Chureli           | 0.032 | 0.752 |

|     |               |       |       |
|-----|---------------|-------|-------|
| 63  | Dagniya       | 0     | 0.215 |
| 64  | Dandbachhali  | 0.022 | 0.366 |
| 65  | Darrabhata    | 0     | 0.395 |
| 66  | Darrighat     | 0     | 0.103 |
| 67  | Davanpur      | 0.032 | 0.178 |
| 68  | Devarikhurd   | 0     | 0.013 |
| 69  | Devgaon       | 0     | 0.224 |
| 70  | Dhangawa      | 0     | 0.144 |
| 71  | Dhaniya       | 0     | 0.321 |
| 72  | Dhanras       | 0.039 | 0.122 |
| 73  | Dhruvkirari   | 0     | 0.079 |
| 74  | Dhuma         | 0     | 0.21  |
| 75  | Dodaki        | 0     | 0.092 |
| 76  | Eramsahi      | 0     | 0.175 |
| 77  | Ghansipur     | 0.11  | 0     |
| 78  | Ganiyari      | 0     | 0.529 |
| 79  | Gatoura       | 0     | 0.021 |
| 80  | Ghogadih      | 0     | 0.281 |
| 81  | Ghuru         | 0     | 0.012 |
| 82  | Ghutaku       | 0     | 0.394 |
| 83  | Gidhpuri      | 0     | 0.023 |
| 84  | Girdhouna     | 0     | 0.018 |
| 85  | Gondadih      | 0     | 0.236 |
| 86  | Gopalpur      | 0     | 0.159 |
| 87  | Ghoramal      | 0.037 | 0     |
| 88  | Gudi          | 0     | 0.223 |
| 89  | Hafa          | 0     | 0.008 |
| 90  | Hardadih      | 0     | 0.085 |
| 91  | Hardi         | 0     | 0.204 |
| 92  | Hindudih      | 0     | 0.154 |
| 93  | Hirri         | 0     | 0.287 |
| 94  | Itwa          | 0     | 0.027 |
| 95  | Jali          | 0.027 | 0     |
| 96  | Jevra         | 0.128 | 0     |
| 97  | Jairamnagar   | 0     | 0.587 |
| 98  | Jaitpur       | 0     | 0.046 |
| 99  | Jalso         | 0     | 0.222 |
| 100 | Janji         | 0     | 0.811 |
| 101 | Jareli        | 0     | 0.036 |
| 102 | Jarondha      | 0     | 0.022 |
| 103 | Jevara        | 0     | 0.305 |
| 104 | Jhalmala      | 0     | 0.399 |
| 105 | Jhingatpur    | 0.07  | 0.052 |
| 106 | Joki          | 0     | 0.24  |
| 107 | Jondhara      | 0     | 0.214 |
| 108 | Juhali        | 0     | 0.156 |
| 109 | Junwani       | 0     | 0.226 |
| 110 | Kalartarai    | 0     | 0.215 |
| 111 | Kalmitar      | 0     | 0.071 |
| 112 | Kanchanpur    | 0.113 | 0.312 |
| 113 | Karhikchhar   | 0.188 | 0     |
| 114 | Kapsiyakala   | 0     | 0.774 |
| 115 | Kargikala     | 0     | 0.511 |
| 116 | KargiKhurd    | 0     | 0.017 |
| 117 | Karhi Kachhar | 0     | 0.01  |
| 118 | Karka         | 0.139 | 0.385 |
| 119 | Katra         | 0.15  | 0     |
| 120 | Karra         | 0     | 0.354 |
| 121 | Karwa         | 0.113 | 0.338 |

|     |                  |       |       |
|-----|------------------|-------|-------|
| 122 | Kathakoni        | 0     | 0.071 |
| 123 | Kewarapara       | 0.044 | 0     |
| 124 | Kekdar           | 0     | 0.284 |
| 125 | Kenda            | 0.335 | 0.042 |
| 126 | Kewatadih        | 0     | 0.192 |
| 127 | Kewtadih Bhutaha | 0     | 0.218 |
| 128 | Kewtara          | 0     | 0.117 |
| 129 | Khachar          | 0     | 0.076 |
| 130 | Khaira           | 0.102 | 0.132 |
| 131 | Khairjhiti       | 0     | 0.031 |
| 132 | Khajuri          | 0     | 0.085 |
| 133 | Khajuri Navagaon | 0     | 0.061 |
| 134 | Khamhariya       | 0     | 0.068 |
| 135 | Khanda           | 0     | 0.044 |
| 136 | Khapari          | 0     | 0.368 |
| 137 | Khargahana       | 0     | 0.398 |
| 138 | Khari            | 0     | 0.417 |
| 139 | Kharkena         | 0     | 0.226 |
| 140 | Khongsara        | 0.005 | 0.248 |
| 141 | Khoudhara        | 0     | 0.067 |
| 142 | Khurdur          | 0     | 0.12  |
| 143 | Kirari           | 0     | 0.073 |
| 144 | Kodapuri         | 0     | 1.021 |
| 145 | Kokadi           | 0     | 0.33  |
| 146 | Konchara         | 0     | 0.017 |
| 147 | Koni             | 0     | 0.269 |
| 148 | Kopra            | 0.029 | 0.006 |
| 149 | Kosamdih         | 0     | 0.206 |
| 150 | Kota             | 0     | 1.858 |
| 151 | Koudiya          | 0     | 0.503 |
| 152 | Kouvatal         | 0     | 0.032 |
| 153 | Kukda            | 0     | 0.013 |
| 154 | KukudiKera       | 0     | 0.332 |
| 155 | Kukudikala       | 0     | 0.156 |
| 156 | Kunwajati        | 0.113 | 0     |
| 157 | Kuli             | 0     | 0.542 |
| 158 | Kunwa            | 0     | 0.362 |
| 159 | Kurdur           | 0     | 0.191 |
| 160 | Kurel            | 0     | 0.341 |
| 161 | Kurwar           | 0     | 0.843 |
| 162 | Kusmuli          | 0     | 0.021 |
| 163 | Kutela           | 0     | 0.007 |
| 164 | Kuwarimudda      | 0     | 0.09  |
| 165 | Lakhasar         | 0     | 0.099 |
| 166 | Lalpur           | 0.02  | 0     |
| 167 | Lamer            | 0     | 0.035 |
| 168 | Lamkena          | 0     | 0.028 |
| 169 | Lawar            | 0     | 0.424 |
| 170 | Lemahi (Gunsari) | 0     | 0.065 |
| 171 | Limtara          | 0     | 0.016 |
| 172 | Litiya           | 0     | 0.314 |
| 173 | Loharsi          | 0     | 0.711 |
| 174 | Lokhandi         | 0     | 0.335 |
| 175 | Lufa             | 0     | 0.103 |
| 176 | Lutra            | 0     | 0.04  |
| 177 | Machkhanda       | 0     | 0.467 |
| 178 | Madai            | 0     | 0.065 |
| 179 | Majhgaon         | 0.084 | 0.205 |
| 180 | Majhgawa         | 0     | 0.044 |

|     |                 |       |       |
|-----|-----------------|-------|-------|
| 181 | Malhar          | 0     | 0.081 |
| 182 | Manikchauri P   | 0     | 0.162 |
| 183 | Manjwani        | 0.019 | 0.034 |
| 184 | Manpahari       | 0.062 | 0.414 |
| 185 | Manwa           | 0     | 0.024 |
| 186 | Masturi         | 0     | 3.827 |
| 187 | Matiya          | 0     | 0.006 |
| 188 | Matsagra        | 0     | 0.504 |
| 189 | Medpar Bazar    | 0     | 0.063 |
| 190 | Medpar Chhota   | 0     | 0.912 |
| 191 | Mendra          | 0     | 0.131 |
| 192 | Mitthu Navagaon | 0     | 0.015 |
| 193 | Mochh           | 0     | 0.057 |
| 194 | Modhe           | 0     | 0.493 |
| 195 | Mohada          | 0.018 | 0.239 |
| 196 | Mohali          | 0     | 0.277 |
| 197 | Mohatra         | 0     | 0.06  |
| 198 | Mudpar          | 0     | 0.263 |
| 199 | Muru            | 0     | 0.024 |
| 200 | Nagchuwa        | 0     | 0.186 |
| 201 | Nagoi           | 0     | 0.15  |
| 202 | Nargoda         | 0     | 0.071 |
| 203 | Nawapara        | 0.138 | 0     |
| 204 | Navagaon        | 0     | 0.043 |
| 205 | Navagaon Karra  | 0     | 0.073 |
| 206 | Navagaon Mohada | 0     | 0.148 |
| 207 | Nawagaon        | 0.053 | 0.256 |
| 208 | Nevara          | 0     | 0.046 |
| 209 | Nevsha          | 0.058 | 0.304 |
| 210 | Nirtu           | 0.033 | 0.031 |
| 211 | Okhar           | 0     | 0.156 |
| 212 | Pachbahara      | 0     | 0.109 |
| 213 | Pachpedi        | 0     | 0.632 |
| 214 | Pahanda         | 0     | 0.071 |
| 215 | Pakriya         | 0     | 0.534 |
| 216 | Pandariya       | 0     | 0.147 |
| 217 | Pandhi          | 0     | 0.04  |
| 218 | Pandrapathara   | 0     | 0.142 |
| 219 | Paraghat        | 0     | 0.164 |
| 220 | Parasda         | 0     | 0.148 |
| 221 | Parsa Pani      | 0     | 0.04  |
| 222 | Parsada         | 0     | 0.033 |
| 223 | Parsada Kisan   | 0     | 0.017 |
| 224 | Parsada Ved     | 0     | 0.075 |
| 225 | Parsodhi        | 0     | 0.157 |
| 226 | Pataidih        | 0     | 0.083 |
| 227 | Pachra          | 0.109 | 0     |
| 228 | Parsapani       | 0.333 | 0     |
| 229 | Pataita         | 0     | 0.023 |
| 230 | Patharra        | 0     | 0.204 |
| 231 | Pendari         | 0     | 0.397 |
| 232 | Pendri          | 0.032 | 0.818 |
| 233 | Pipartarai      | 0     | 0.228 |
| 234 | Podi            | 0     | 0.23  |
| 235 | Pondi           | 0.041 | 1.108 |
| 236 | Pondi K         | 0     | 0.088 |
| 237 | Pondi Sa        | 0     | 0.103 |
| 238 | Pudu            | 0.109 | 0.76  |
| 239 | Rahatatore      | 0     | 0.051 |

|     |                 |       |       |
|-----|-----------------|-------|-------|
| 240 | Railaha         | 0     | 0.238 |
| 241 | Rajpur          | 0     | 0.116 |
| 242 | Raliya          | 0     | 1.29  |
| 243 | Rani Bachhali   | 0.04  | 0.404 |
| 244 | Ranigaon        | 0     | 0.041 |
| 245 | Rank            | 0     | 0.155 |
| 246 | Rathkhandi      | 0.013 | 0.613 |
| 247 | Rigwar          | 0.089 | 0.084 |
| 248 | Risda           | 0     | 0.287 |
| 249 | Saraipali       | 0.113 | 0     |
| 250 | Saida           | 0     | 0.198 |
| 251 | Sakarra         | 0     | 0.249 |
| 252 | Sakri           | 0     | 0.012 |
| 253 | Sakti Bahra     | 0     | 0.548 |
| 254 | Salka           | 0.034 | 0.029 |
| 255 | Sambalpur       | 0     | 0.148 |
| 256 | Samdil          | 0.023 | 0.274 |
| 257 | Samria          | 0     | 0.362 |
| 258 | Sargawa         | 0     | 0.153 |
| 259 | Sarseni         | 0     | 0.009 |
| 260 | Semra           | 0     | 0.202 |
| 261 | Sivpur          | 0.409 | 0     |
| 262 | Shivtikari      | 0.262 | 0.101 |
| 263 | Sildaha         | 0.127 | 0.188 |
| 264 | Silpahari       | 0.212 | 0.404 |
| 265 | Sipat           | 0     | 0.191 |
| 266 | Sodhi           | 0     | 0.042 |
| 267 | Son             | 0     | 0.181 |
| 268 | Sonpuri         | 0     | 0.03  |
| 269 | Sonthi          | 0.193 | 0     |
| 270 | Sonsari         | 0     | 0.067 |
| 271 | Sonsay Nawagaon | 0     | 0.077 |
| 272 | Salhekapa       | 0.043 | 0     |
| 273 | Sukulkari       | 0     | 0.195 |
| 274 | Sulouni         | 0     | 0.255 |
| 275 | Takhatpur       | 0     | 1.937 |
| 276 | Tanda           | 0     | 0.022 |
| 277 | Tati Ghat       | 0     | 0.201 |
| 278 | Tendua          | 0.035 | 0.018 |
| 279 | Tendubhatha     | 0.041 | 0.308 |
| 280 | Thakurdeva      | 0     | 0.004 |
| 281 | Tharakpur       | 0.01  | 0.228 |
| 282 | Tihladih        | 0     | 0.194 |
| 283 | Tuluf           | 0.206 | 0     |
| 284 | Tikari          | 0     | 0.042 |
| 285 | Turka Dih       | 0     | 0.099 |
| 286 | Urakpur         | 0.102 | 0     |
| 287 | Udangi          | 0.132 | 0.596 |
| 288 | Udela           | 0     | 0.156 |
| 289 | Umariya Dadar   | 0.031 | 0.222 |
| 290 | Upka            | 0     | 0.114 |
| 291 | Uslapur         | 0     | 0.781 |
| 292 | Vindhasar       | 0     | 0.378 |
| 293 | Bharni          | 0     | 0.036 |
| 294 | Jogipur         | 0     | 0.115 |
| 295 | Pali            | 0     | 0.003 |
| 296 | Pand            | 0     | 0.158 |
| 297 | Sagar           | 0     | 0.011 |
| 298 | Uni             | 0     | 0.303 |

|              |        |              |               |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 299          | Khonda | 0.102        | 0             |
| <b>Total</b> |        | <b>6.897</b> | <b>69.324</b> |

#### B-2.4 Component wise breakup

| Component wise breakup |           |                  |                      |
|------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| S.no                   | Component | Forest Land(ha.) | Non-Forest Land(ha.) |
| 1                      | ofc       | 6.897            | 69.324               |
| <b>Total</b>           |           | <b>6.897</b>     | <b>69.324</b>        |

#### C. Maps of forest land proposed to be diverted

| Division 1. : Bilaspur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 6.897</p> <p>(ii). Nature of the Project: Linear</p> <p>(b). No. of Segments : One</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                  |
| <b>Segment wise details</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                  |
| <b>Segments</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Segment Area(in ha.)</b> | <b>Kml File of Segments</b><br><small>(To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).</small> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.897                       |  <a href="#">View File</a>                                                      |
| <p>(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: </p> <p>(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: </p> |                             |                                                                                                                                                                  |

#### D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: No
- (a). Reason for not providing such map: NIL

#### E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 10
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 20

#### F. Displacement of People due to the Project, if any

- (i). Whether Project involves displacement?: No

#### G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

- (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

#### H. Status of Environmental Clearance

- (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

#### I. Status of Wildlife Clearance

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

#### J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

**K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted**

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: 

**L. Details of land identified for Compensatory Afforestation**

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Laying of telephone/optical fibre lines

**Additional information Details**

| Documents |                                                                                     |                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| S.No      | Documents                                                                           | Remarks                                           |
| 1         |    | DD against registration and processing fees       |
| 2         |    | Project Approval Copy                             |
| 3         |    | LOI Issued To TPL                                 |
| 4         |   | Collector NOC                                     |
| 5         |  | Query compliance submitted to Bilaspur DFO Office |
| 6         |  | Forest area statement                             |
| 7         |  | Lidar/DGPS Survey Report                          |

Print page





कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - गू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apscf-lm.cg@gov.in

क्र./गू-प्रबंध/विविध/115-827/2309

दिनांक 20/09/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर  
छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Bilaspur Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 6.897 ha. regarding पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42622/2019

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक / 2533 दिनांक 02.09.2021  
\* \* \* \* \*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुरांता उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्न लिखित त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं:-

1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1166 दिनांक 05.06.2021 का उत्तर अप्राप्त है एवं ऑनलाईन ई.डी.एस में भी जानकारी अपलोड नहीं किया गया है।
2. ऑन लाईन फार्म-ए में नवीन प्रस्ताव अनुसार सुधार नहीं किया गया है।
3. नवीन प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
4. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में प्रस्ताव के समस्त 21 बिन्दुओं की सत्यापित प्रपत्र अपलोड करें।
5. नवीन प्रस्ताव अनुसार सत्यापित वनस्पति मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
6. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र मय वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण में निचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि विषयांकित प्रकरण तीन बार शासन स्तर से एवं तीन बार नोडल कार्यालय से स्तर से सुधार हेतु अब

तक वापस किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि वन मंडल कार्यालय एवं वृत्त कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का गंभीरता से परीक्षण नहीं किया जा रहा है, केवल खानापूति कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। बिलासपुर वृत्त के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव में यही स्थिति निर्मित हो रही है। इस हेतु नोडल कार्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।

पूर्व में बिलासपुर वृत्त कार्यालय को त्रुटि सुधार हेतु कई पत्राचार किया जा चुका है परन्तु स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर स्पष्टीकरण लेकर त्रुटिहीन प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

तदनुसार प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मूलतः वापिस किया जाता है।

संलग्न:-

प्रस्ताव 3 प्रतियों में

डी.जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ.)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध 115-874A/ 23/0  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 20/09/2021

1. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ.)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र. / वृ. / 4716

प्रतिलिपि.

बिलासपुर / दिनांक 24/09/2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन  
सोसायटी (चिप्स) सिविल लाईन, रायपुर की ओर  
आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया।

वन मंडलाधिकारी  
बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 146/ समुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक 10/06/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,  
बिलासपुर वन मंडल,  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़).

विषय : बिलासपुर जिला के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ : 1. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग. शासन पत्र क्र./एफ-14/2020T/10-2 दिनांक 21/05/2021।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115 - 827/1166 नवा रायपुर दिनांक 05/06/2021।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-827/969 नवा रायपुर दिनांक 05/04/2021।
4. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक/तक./903 बिलासपुर दिनांक 25/03/2021।
5. आपका पत्र क्रमांक/तक./428 बिलासपुर दिनांक 19/03/2021।

- 00 -

विषयांतर्गत बिलासपुर जिला के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) के द्वारा पत्र क्र. 1529 दिनांक 18.08.2020 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन को प्रेषित किया गया। जिसके परीक्षण उपरांत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन द्वारा प्रस्ताव में कमियां पाई गई।



उक्त कमियों की पूर्ति करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू- प्रबंध) के द्वारा पत्र क्र. 969 दिनांक 05.04.2021 (संदर्भित पत्र क्र. 3) को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन को प्रेषित किया गया। जिसमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के बिंदु-8 के अंतर्गत 5 बिन्दुओं पर पुनः स्पष्टीकरण चाही गई है, का बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बिंदु क्रमांक 1 | विषयांतर्गत मूल प्रस्ताव (आपके पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार ) में दिया गया वन क्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 7 वन कक्ष है अथवा वन विकास निगम के पत्र क्र. 3583 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कुल 18 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्पष्टीकरण      | <p>मूल प्रस्ताव (अ.प्र.मु.व.सं. के पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिया गया वन क्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 7 वन कक्ष उल्लेखित किये गए थे, जिसके लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग.शासन द्वारा (संदर्भित पत्र क्र. 1 के बिंदु 2) अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। जिसके सन्दर्भ में कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर द्वारा केवल 5 वन कक्षों का अनापत्ति दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया था। तदोपरांत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग.शासन द्वारा (संदर्भित पत्र क्र. 1 के पेज 2 के बिंदु 6) के माध्यम से छूटे हुए 2 कक्षों के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लेख किया गया।</p> <p>इसके पालन में कोटा परियोजना मंडल द्वारा प्रस्ताव में शामिल वन भूमि के पुनः स्थल परीक्षण एवं रिकॉर्ड मिलन के उपरांत यह स्पष्ट हुआ जिन 7 वन कक्षों को शिवतराई एवं भैसाझार परिक्षेत्र के अंतर्गत दर्शाये गये थे वे सामान्य वन मंडल के परिक्षेत्र न होकर कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ परिक्षेत्र थे तथा छूटे हुए 2 वन कक्ष 2482 तथा 2509 को सामान्य वन मंडल के अंतर्गत पाया गया।</p> <p>इस प्रकार आवेदित वन भूमि में से कुल 18 वन कक्ष कोटा परियोजना मंडल, व.वि. नि.लि. बिलासपुर के अधीन आता है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मंडल प्रबंधक द्वारा दिनांक 12.03.2021 को जारी किया गया। (संलग्न)</p> |
| बिंदु क्रमांक 2 | आपके मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्र. 1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रुटियां परिलक्षित हो रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्पष्टीकरण      | <p>मूल प्रस्ताव (अ.प्र.मु.व.सं. के पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा आपके पत्र क्र. 1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रुटियां थी जिसमें सुधार करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव आपके पत्र क्र. 428 दिनांक 19.03.2021 द्वारा मु.व.सं., बिलासपुर के माध्यम से अ.प्र.मु.व.सं. को प्रेषित किया गया जिसके परीक्षण उपरांत अ.प्र.मु.व.सं. के द्वारा पत्र क्र. 969 दिनांक 05.04.2021 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन को प्रेषित किया गया। (संदर्भित पत्र क्र. 3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बिंदु क्रमांक<br>3 | प्रस्ताव में बार-बार पत्राचार के बावजूद आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति तथा वन विकास निगम से वांछित सही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं की जा रही है। जिससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। कृपया संबंधितों को स्पष्ट निर्देश प्रस्तावित कर शीघ्र जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्पष्टीकरण         | कोटा परियोजना मंडल व.वि.नि.लि. बिलासपुर द्वारा प्रस्ताव में शामिल वन भूमि के पुनः स्थल परीक्षण एवं रिकॉर्ड मिलन के उपरांत यह स्पष्ट हुआ जिन वन कक्षों को शिवतराई एवं भैसाझार परिक्षेत्र के अंतर्गत दर्शाये गये थे वे सामान्य वन मंडल के परिक्षेत्र न होकर कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ परिक्षेत्र के अंतर्गत हैं तथा छुटे हुए 2 वन कक्ष 2482 तथा 2509 को सामान्य वन मंडल के अंतर्गत पाया गया। अंतिम रूप से जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मंडल प्रबंधक द्वारा दिनांक 12.03.2021 को जारी किया गया (संलग्न)। तत्पश्चात ही उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति एवं सम्बंधित जानकारीयां आपके पत्र क्र. 428 दिनांक 19.03.2021 द्वारा मु.व.सं., बिलासपुर के माध्यम से अ.प्र.मु.व.सं. को प्रेषित किया गया जिसके परीक्षण उपरांत अ.प्र.मु.व.सं. के द्वारा पत्र क्र. 969 दिनांक 15.04.2021 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग. शासन को प्रेषित किया गया है। |
| बिंदु क्रमांक<br>4 | पूर्व मूल प्रस्ताव में (पत्र दिनांक 18.08.2020) आवेदित वन क्षेत्र में आरक्षित वन का रकबा 2.925 हे, संरक्षित वन कक्ष का रकबा 2.739 हे, नारंगी वन क्षेत्र का रकबा 0.805 हे. तथा राजस्व वन रकबा 0.428 हे. या वहीं आपका संदर्भित पत्र क्र. 07 के माध्यम से प्रेषित वन क्षेत्र की वन में आरक्षित वन भूमि का रकबा 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 4.720 हे, नारंगी वन भूमि का रकबा 0.747 हे. एवं राजस्व वन रकबा 0.428 दर्शाया गया है<br>कृपया परीक्षण करे की यह त्रुटि क्यों हुई? क्या पूर्व में कराया गया सर्वे त्रुटिपूर्ण तो नहीं है तथा यदि एरिया स्टेटमेंट बदलना है तो क्षेत्र की पुनः डी.जी.पी.एस.सर्वे कराये जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ?                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्पष्टीकरण      | <p>प्रस्ताव के पुनः परीक्षण उपरांत मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ वन कक्षों तथा सामान्य वन मंडल के वन कक्षों के विवरण में संशोधन के परिणाम स्वरूप वन भूमि के मदवार स्थिति में संशोधन किया गया है जो अंतिम रूप से निम्नानुसार है -</p> <p>कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर - 1.906 हे.</p> <p>बिलासपुर वनमण्डल (सामान्य) - 4.863 हे.</p> <p>एवं राजस्व वन रकबा - 0.428 हे.</p> <p>आवेदित कुल वन भूमि का रकबा - 6.897 हे.</p> <p><b>मदवार स्थिति -</b></p> <p>आरक्षित वन भूमि का रकबा - 1.002 हे.</p> <p>संरक्षित वन भूमि का रकबा - 4.720 हे.</p> <p>नांगी वन भूमि का रकबा - 0.747 हे.</p> <p>एवं राजस्व वन रकबा - 0.428 हे.</p> <p>आवेदित कुल वन भूमि का रकबा - 6.897 हे.</p> <p>उक्त प्रस्ताव में केवल वन कक्षों के परिक्षेत्र या वन भूमि के मद विवरण के सम्बन्ध में त्रुटि हुई है जिसे संशोधित किया जा चुका है। कक्षों के क्रमांक या प्रभावित वन भूमि के लंबाई तथा रकबा में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है अतः डी. जी.पी.एस. सर्वे पुनः कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।</p> |
| बिंदु क्रमांक 5 | <p>अतः प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर प्रस्ताव में प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र में आ रहे हैं, उनका सही सही विवरण देते हुए बिन्दुओं के चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्पष्टीकरण      | <p>कोटा परियोजना मंडल व.वि.नि.लि. बिलासपुर द्वारा प्रस्ताव में शामिल वन भूमि के पुनः स्थल परीक्षण एवं रिकॉर्ड मिलन के उपरांत यह स्पष्ट हुआ जिन वन कक्षों को शिवतराई एवं भैसाझार परिक्षेत्र के अंतर्गत दर्शाये गये थे वे सामान्य वन मंडल के परिक्षेत्र न होकर कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ परिक्षेत्र के अंतर्गत है तथा छुटे हुए 2 वन कक्ष 2482 तथा 2509 को सामान्य वन मंडल के अंतर्गत पाया गया। अंतिम रूप से जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मंडल प्रबंधक द्वारा दिनांक 12.03.2021 को जारी किया गया (संलग्न)। तत्पश्चात ही उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति एवं सम्बंधित जानकारीयां आपके पत्र क्र. 428 दिनांक 19.03.2021 द्वारा मु.व.सं., बिलासपुर के माध्यम से अ.प्र.मु.व.सं. को प्रेषित किया गया जिसके परीक्षण उपरांत अ.प्र.मु.व.सं. के द्वारा पत्र क्र. 969 दिनांक 15.04.2021 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग. शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अनुसार ही आवेदित वन कक्षों विवरण एवं सम्बंधित पुनरीक्षित जानकारीयां को ही मान्य करें।</p>                         |

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग.शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के बिंदु-8 के अंतर्गत 5 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाही गई है, का बिन्दुवार स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अतः निवेदन है कि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

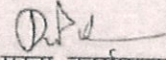
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक ५६/ समुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक १०/०६/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध), अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरभाष 0771 - 2517840

ई-मेल apccf-lm.cg@gov.in

क्र/मू-प्रबंध/विविध/115-827/1166

दिनांक 05/06/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी  
बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर  
छत्तीसगढ़

विषय :- बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर कैंबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (विप्स) रायपुर का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यापनर्तन प्रस्ताव।  
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-14/ 2020/ 10-2 दिनांक 27.05.2021

× × × × ×

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में व बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार दिवसेंदव जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र 4 पृष्ठीय

अ.प्र.मुख्य स. (मू-प्रबंध/व.स.अ)  
छत्तीसगढ़

मू क्रमांक/मू-प्रबंध/विविध/115-835 ए/1167  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

रायपुर दिनांक 05/06/2021

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (विप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मुख्य स. (मू-प्रबंध/व.स.अ)  
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक एफ 5-14/2020/10-2  
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/05/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
एवं वन बल प्रमुख  
अरण्य भवन, सेक्टर-19,  
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल अंतर्गत भारत नेट प्राजेक्ट Phase- II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायरब केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ :-
1. अ.प्र.मु.व. (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/1529, दिनांक 18.08.2020।
  2. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.09.2020।
  3. अ.प्र.मु.व. (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/1855, दिनांक 19.10.2020।
  4. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2020।
  5. अ.प्र.मु.व. (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/107, दिनांक 14.01.2020।
  6. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.02.2021।
  7. अ.प्र.मु.व. (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-827/969, दिनांक 05.04.2021।

—00—

संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से विषयांतर्गत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था।

2/- प्रस्ताव में 5 बिन्दुओं पर त्रुटियां होने से प्रकरण त्रुटि सुधार हेतु विभागीय संदर्भित पत्र क्र. 02 लेख किया गया।

// 02 //

3/- संदर्भित पत्र क्र. 03 में उक्त 5 बिन्दुओं की त्रुटि सुधार संबंधी जानकारी भेजी गई किंतु इसमें से वन विकास निगम से चाही जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं भेजी गई।

4/- उक्त वन विकास निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु पुनः विभागीय संदर्भित पत्र क्र.04 लेख किया गया।

5/- संदर्भित पत्र क्र. 05 में मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल के पत्र दिनांक 12.01.2021 के साथ 5 वन कक्षों की अनापत्ती प्रमाण पत्र भेजी गई जबकि आपके द्वारा प्रेषित मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में 7 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित है।

6/- अतः छूटे हुए वन कक्ष क्र. 2482 तथा कक्ष क्र. 2509 (कोटा वन क्षेत्र) की अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विकास निगम से प्राप्त करने हेतु संदर्भित पत्र क्र. 06 लेख किया गया था।

7/- संदर्भित पत्र क्र. 07 में आपके द्वारा उक्त 2 वन कक्षों की अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विकास निगम से प्राप्त न करते हुए वन विकास निगम के पत्र क्र./व.वि.नि./कं.पी./मा.चि./2021/3583 दिनांक 12.03.2021 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिसमें विषयांकित परियोजना में वन विकास निगम से प्रभावित कुल 18 वन कक्षों का विवरण दिया गया है। इसमें भी उक्त 2 वन कक्ष (कक्ष क्र. 2482 तथा 2509 का उल्लेख नहीं है।)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र क्र. 07 के साथ वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्र./तक. अधि./1385, दिनांक 01.03.2021 को भी संलग्न कर भेजा गया है। जिसमें वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवेदक के मूल प्रस्ताव में आवेदित वन कक्ष तथा उनके विवरण पर भी आपत्ती ली गई है। वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के अनुसार प्रस्ताव में त्रुटियां निम्नानुसार हैं :-

- I. कॉलम 6 अंतर्गत अनुक्रमांक 1 से 6, 15, 19, 22, 25, 26 से 40 आरक्षित वनभूमि दर्शाया गया है, जबकि संरक्षित वन क्षेत्र है।
- II. अनुक्रमांक 23, 24 का कक्ष क्रमांक 137, 169 को शिवतराई परिक्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि यह वन विकास निगम के कार्य क्षेत्र में है। इसी प्रकार अनुक्रमांक 60,

// 03 //

61, 62 का संरक्षित कक्ष क्रमांक 84, 94 एवं 95 परिक्षेत्र भैंसाझार दर्शाया गया है, जबकि यह वन विकास निगम के कार्य क्षेत्र में है।

- III. प्रकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि के कक्ष क्रमांक का क्षेत्राधिकार किस परिक्षेत्र का है इसका सत्यापन संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से नहीं कराया जा गया है।
- IV. मंडल प्रबंधक, वन विकास निगम बिलासपुर, को प्रभावित होने वाले वन भूमि की सूची उपलब्ध कराकर उनके कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी वन कक्ष एवं रकबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार सुधार किया जाना आवश्यक है।

8/- उपरोक्त परिदृश्य में प्रकरण में कृपया निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करे :-

- I. विषयांतर्गत मूल प्रस्ताव (आपके पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिया गया वन क्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 7 वन कक्ष है अथवा वन विकास निगम के पत्र क्र. 3583 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कुल 18 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत है।
- II. आपके मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के पत्र क्र. 1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही है।
- III. प्रस्ताव में बार-बार पत्राचार के बावजूद आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति तथा वन विकास निगम से वांछित सही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है,। कृपया संबंधितों को स्पष्ट निर्देश प्रस्तावित कर शीघ्र जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।
- IV. पूर्व मूल प्रस्ताव में (पत्र दिनांक 18.08.2020) आवेदित वन क्षेत्र में आरक्षित वन का रकबा 2.925 हे., संरक्षित वन कक्ष का रकबा 2.739 हे, नारंगी वन क्षेत्र का रकबा 0.805 हे. तथा राजस्व वन रकबा 428 हे. या वहीं आपका संदर्भित पत्र क्र. 07 के माध्यम से प्रेषित वन क्षेत्र की वन में आरक्षित वन भूमि का रकबा 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 4.720 हे., नारंगी वन भूमि का रकबा 0.474 हे. एवं

// 04 //

राजस्व वन भूमि का रकबा 0.428 है. दर्शाया गया है।

कृपया यह परीक्षण करें कि यह त्रुटि क्यों हुई ? क्या पूर्व में कराया गया DGPS सर्वे त्रुटिपूर्ण हो नहीं है तथा यदि एरिया स्टेटमेंट बदलना है तो क्षेत्र की पुनः DGPS सर्वे कराया जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ?

- v अतः प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर प्रस्ताव में प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र आ रहे हैं, उनका सही-सही विवरण देते हुए 21 बिन्दुओं के चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

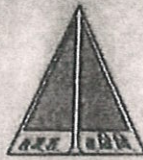
Regional

(कै.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



# छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय - मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

समकृष्ण कालोनी, मंगला रोड, बिलासपुर, दूरभाष क्र. 07752-271572 फैक्स नं. 271572

E-mail ID - dm.kota@yahoo.com GSTIN - 22AACCC2857LIZO

क्र./विवि/के पी./मा.वि./2021/3583  
प्रति

बिलासपुर/दिनांक-12/3/2021

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़

**विषय :-** Diversion of forest land for non forest perose under forest conservation act 1980  
perposed for the Bharat net phase.II Bilaspur Division Bharat Net project which  
is a GOI initiative Under this project", connectivity will be provided at 5987 GPS  
& 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32466 K.M. The  
laying of Optical Fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the  
State, area - 6,897 ha. regarding.

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक 538 दिनांक 06.03.2021

—00—

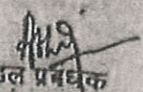
उपरोक्त विषयावर्तित लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम इस परियोजना मण्डल  
अंतर्गत बेलगहना, कोटा एवं भैसाझार के वनक्षेत्र से गुजरने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाये जाने हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र वाहा गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

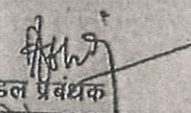
| क्र. | परिक्षेत्र का नाम | प्रभावित वनभूमि का प्रकार | कक्ष क्रमांक | लंबाई (मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
|------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1    | 2                 | 3                         | 4            | 5           | 6            | 7               |
| 1    | कोटा              | आरक्षित                   | 133          | 3195.015    | 0.50         | 0.160           |
| 2    |                   |                           | 134          | 962.428     | 0.50         | 0.048           |
| 3    |                   |                           | 135          | 2307.645    | 0.50         | 0.116           |
| 4    |                   |                           | 137          | 2121.237    | 0.50         | 0.107           |
| 5    |                   |                           | P 1118       | 274.215     | 0.50         | 0.014           |
| 6    |                   | संरक्षित                  | P 1201       | 744.111     | 0.50         | 0.037           |
| 7    |                   |                           | P 1115       | 400.935     | 0.50         | 0.020           |
| 8    |                   |                           | P 1116       | 425.924     | 0.50         | 0.021           |
| 9    |                   |                           | P 1116       | 425.924     | 0.50         | 0.021           |
|      |                   | आरक्षित                   | 169          | 1429.184    | 0.50         | 0.071           |
|      |                   | Total                     |              | 11860.694   |              | 0.594           |
| 1    | बेलगहना           | संरक्षित                  | P 1187       | 1460.616    | 0.50         | 0.073           |
| 2    |                   |                           | P 1179       | 1496.926    | 0.50         | 0.075           |
| 3    |                   |                           | P 1180       | 5399.407    | 0.50         | 0.270           |
| 4    |                   |                           | P 1193       | 1055.950    | 0.50         | 0.053           |
| 5    |                   |                           | P 1138       | 808.147     | 0.50         | 0.040           |
| 6    |                   |                           | P 1191       | 7865.105    | 0.50         | 0.392           |
|      |                   | Total                     |              | 18086.15    |              | 0.903           |
| 1    | भैसाझार           | संरक्षित                  | P 84         | 2912.291    | 0.50         | 0.146           |
| 2    |                   |                           | P 94         | 3089.098    | 0.50         | 0.155           |
| 3    |                   |                           | P 95         | 2147.010    | 0.50         | 0.108           |
|      |                   | Total                     |              | 8148.399    |              | 0.409           |
|      |                   | Grand Total               |              | 38095.244   | 0.50         | 1.906           |

उपरोक्तानुसार वनक्षेत्र का निरीक्षण परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमण्डल प्रबंधक द्वारा कराया गया। इसमें किसी भी प्रकार से वनों की क्षति नहीं हो रही है। अतः प्रभावित वन भूमि 1906 हे. के गैर गानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पू.क्र./वविनि/के.पी./मा.वि./2021/3584  
प्रतिलिपि :-

01 वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
मण्डल प्रबंधक  
कोटा परियोजना मण्डल  
बिलासपुर (छ.ग.)  
बिलासपुर/दिनांक- 12/3/2021

  
मण्डल प्रबंधक  
कोटा परियोजना मण्डल  
बिलासपुर (छ.ग.)